

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्डुनू

पीठासीन अधिकारी सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

मा नम्बर 57/2025

दायर दिनांक-27.02.2025

1. श्यामलाल पुत्र चौधमल जाति माली निवासी झाझड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्डुनू।

-वादी

बनाम

- गणपत पुत्र गीदा जाति माली निवासी झाझड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्डुनू
- भूमि धारक राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील नवलगढ़ जिला झुन्डुनू।

-प्रतिवादीगण

वकील वादी :- श्री शिव कुमार बंका

वकील प्रतिवादी :- एकपक्षीय

दावा बाबत विभाजन

-:: निर्णय ::-

दिनांक : 24.07.2025

वाद वादी दिनांक 09.05.2025 को प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार नवलगढ़ को मौका कमीशनर नियुक्त किया गया एवं मुताबिक निर्णय पक्षकारान की मौजूदगी में कब्जे काश्त के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पालना प्रस्तुत करने बाबत आदेशित किया गया। तहसीलदार नवलगढ़ द्वारा विभाजन प्रस्ताव पत्रांक: भू0 अ0/2025/8752 दिनांक 15.07.2025 प्रस्तुत करने पर बहस विभाजन प्रस्ताव वकील वादी सुनी गई। वकील वादी की ओर से मुताबिक विभाजन प्रस्ताव निर्णय किये जाने पर सहमत होने पर मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी स्वीकार किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा। राजस्व ग्राम झाझड़ की सरहद में स्थित भूमि खाता संख्या 623 के अंतर्गत भूमि खसरा नम्बर 1014, 1693, 1865/1099, 1869/1099, 187/1/1099, 1879/1120 रकबा क्रमशः 0.1600, 0.0900, 0.0400, 0.0500, 0.0300, 0.200 है0 कुल कित्ता 6 कुल रकबा 0.5700 है0 भूमि में निम्न प्रकार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है:-

क्र. सं.	घोषित खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
1	श्यामलाल पुत्र चौधमल हिस्सा पूर्ण जाति माली साकिन देह खातेदार	1693	0.09	बारानी ए
2	गणपत पुत्र गीदा हिस्सा पूर्ण जाति माली साकिन देह खातेदार राहिन केनरा बैंक शाखा नवलगढ़ मूर्तहीन	1014	0.16	बारानी 2
		1865/1099	0.04	बारानी 2
		1869/1099	0.05	बारानी 2
		1871/1099	0.03	बारानी 2
		1879/1120	0.20	बारानी ए

तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक निर्णय राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त कर राजस्थान लैण्ड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 62 के अनुरूप बटा नम्बर को संशोधित कर अमल दरामद किया जावे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। उक्त निर्णय से यदि पक्षकारान संतुष्ट नहीं है तो पक्षकारान अपीलीय न्यायालय में अपील दायर करने हेतु स्वतंत्र रहेगा। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 24.07.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुशील कुमार सैनी)  
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट  
(फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्डुनू

( ओ 20 रूल्स 6-7 जाप्ता दिवानी )  
अदालत सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ मुकाम बईजलास नवलगढ  
पीठासीन अधिकारी :- सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)  
दमा नम्बर 43/2024

दावा : विभाजन  
( श्यामलाल बनाम गणपत आदि )

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी. वकील वादीगण मनजानिव मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण नजानिव- मुद्दालय पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिकी दी जाती है।

निर्णय दिनांक 24.07.2025 निर्णय वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा। राजस्व ग्राम झाझड़ की सरहद में स्थित भूमि खाता संख्या 623 के अंतर्गत भूमि खसरा नम्बर 1014, 1693, 1865/1099, 1869/1099, 187/1/1099, 1879/1120 रकबा क्रमशः 0.1600, 0.0900, 0.0400, 0.0500, 0.0300, 0.200 है कुल किता 6 कुल रकबा 0.5700 है भूमि में निम्न प्रकार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है:-

क्र. सं.	घोषित खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
1	श्यामलाल पुत्र चौथमल हिस्सा पूर्ण जाति माली साकिन देह खातेदार	1693	0.09	बारानी ए
2	गणपत पुत्र गीदा हिस्सा पूर्ण जाति माली साकिन देह खातेदार राहिन केनरा बैंक शाखा नवलगढ मूर्तहीन	1014	0.16	बारानी 2
		1865/1099	0.04	बारानी 2
		1869/1099	0.05	बारानी 2
		1871/1099	0.03	बारानी 2
		1879/1120	0.20	बारानी ए

तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक निर्णय राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त कर राजस्थान लैंड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 62 के अनुरूप बटा नम्बर को संशोधित कर अमल दरामद किया जावे।

बसक्षत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 24.07.2025 को जारी की गई।

  
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट  
(फास्ट-ट्रेक) नवलगढ मुकाम बईजलास नवलगढ  
मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ मुकाम बईजलास नवलगढ